4. **शुल्क /कर आदि की देयता:**

4.1 शासन/नगर निगम/जल संस्थान अथवा अन्य किसी अभिकरण द्वारा रोपित समस्त करों का भुगतान आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।

4.2 फ्लैटों का मूल्य व क्षेत्रफल अनुमानित है, जिसमें वृद्धि/परिवर्तन/परिवर्धन संभावित है। वास्तविक मूल्य/क्षेत्रफल के अनुसार आवंटी को अतिरिक्त धनराशि जमा करनी होगी। फ्लैटों की संख्या को घटाया-बढ़ाया जा सकता है।

4.3 भवन निर्माणाधीन होने की स्थिति में ही आवंटन किया जाना प्रस्तावित है उक्त भवनों के मूल्य पर नियमानुसार 5% जी0एस0टी0 पृथक से देय होगी।

4.4 आवंटन संबंधी अन्य नियम व शर्ते योजना की विवरण पुस्तिका तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट **www.ldalucknow.in/** पर देखें जा सकते हैं।

4.5 किश्तों में भुगतान का विकल्प चयन करने पर 3 वर्ष में 36 किश्तें ब्याज रहित बनायीं जाएँगी। किश्तों का विलम्ब से भुगतान करने पर 2% अतिरिक्त दंड ब्याज देय होगा।

4.6 जी0एस0टी की धनराशि भी किश्तों के साथ जमा करनी होगी अन्यथा समय से न जमा करने पर 18% वार्षिक देय होगा। फ्लैटों का कब्जा हेतु 5 वर्ष की अवधि निर्धारित है।

4.7 आवंटित फ्लैट में 3 किश्तों के डिफाल्ट होने पर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकार होगा कि फ्लैट का आवंटन निरस्त कर दें तथा लगातार 6 किश्तों के डिफाल्ट होने पर आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

5. **छूट सम्बन्धी प्रावधानः**

5.1 फ्लैट का आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात पंजीकरण धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि के पूर्ण भुगतान किये जाने की स्थिति में निम्नवत छूट प्रदान की जायेगीः-

45 दिन के अंदर पूर्ण भुगतान करने पर 6% की छूट अनुमन्य होगी।

60 दिन के अंदर पूर्ण भुगतान करने पर 5% की छूट अनुमन्य होगी।

90 दिन के अंदर पूर्ण भुगतान करने पर 4% की छूट अनुमन्य होगी।

4. **Fees / Taxes**

4.1 All taxes levied by the Government / Municipal Corporation / Jal Sansthan or any other authority shall be borne by the allottee.

4.2 The price and area of the flats are tentative and subject to increase / change / revision. Any additional amount arising due to variation in actual area or cost shall be payable by the allottee. The number of flats may also be increased or decreased.

4.3 Since allotment is made during the construction phase, 5% GST shall be payable separately on the cost of the flats as per rules.

4.4 Other terms and conditions related to allotment may be referred to in the scheme brochure and on the official website of Lucknow Development Authority: **www.ldalucknow.in**

4.5 If the option of payment in installments is selected, 36 interest-free installments will be created over a period of 3 years. In case of delayed payment of installments, an additional penal interest of 2% shall be payable.

4.6 The GST amount shall also be deposited along with the installments; failing which, interest at the rate of 18% per annum shall be payable for delayed payment. A period of 5 years has been prescribed for handing over possession of the flats.

4.7 If an allottee defaults in three installments, the Vice-Chairman, Lucknow Development Authority, shall have the right to cancel the allotment. In case of default of six consecutive installments, the allotment shall be deemed automatically cancelled.

5. **Discounts**

5.1 After issuance of the allotment letter, upon full payment of the balance amount (after adjusting the registration amount), the following rebates shall be admissible:

Full payment within 45 days – 6% rebate
Full payment within 60 days – 5% rebate
Full payment within 90 days – 4% rebate

5.2 आवंटी द्वारा जिस दिवस में सम्पूर्ण धनराशि जमा की गयी है, उसे उसी दिवस की छूट अनुमन्य होगी, फ्लैटो के आवंटन के पश्चात निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कब्जा दिया जायेगा। 33% आवंटियों के कब्जा प्राप्त कर लेने के पश्चात RWA का गठन किया जायेगा तथा कामन सुविधाओं के रखरखाव हेतु RWA को हस्तांतरित कर दिया जायेगा।

5.3 समस्त भुगतान ल0 वि0 प्रा0 के Citizen Portal (registration.ldalucknow.in) पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे के द्वारा करना अनिवार्य होगा।

6. **सुविधाएं:**

- सुरक्षा के लिए गार्ड रूम
- परिसर में बाउण्ड्री व गेट
- किड्स प्ले एरिया
- ग्रीन पार्क
- निर्बाध बिजली आपूर्ति
- पर्याप्त पार्किंग
- पावर बैकअप
- लिफ्ट
- स्विमिंग पूल

5.2 The rebate applicable shall be as per the date on which the full payment is deposited. Possession shall be handed over after completion of construction. After 33% of allottees take possession, a Residents Welfare Association (RWA) shall be formed, and maintenance of common facilities shall be handed over to the RWA.

5.3 All payments must be made through the payment gateway available on LDA's **Citizen Portal: registration.ldalucknow.in**

6. **Facilities**

- Guard Room
- Boundary Wall & Gate
- Kids Play Area
- Green Park
- Uninterrupted Power Supply
- Parking
- Power Backup
- Lift
- Swimming Pool

7. **आरक्षण:**

उ0प्र0 शासन के आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश के अनुसार विभिन्न वर्गों को आरक्षण अनुमन्य होगा जो वर्तमान में निम्नवत् हैंः –

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायक /सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के सेवारत कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।	05
6.	विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास विकास परिषद, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकाय, आवास बन्धु कार्यालय एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कर्मचारी	02
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03
8.	वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से ऊपर)	10% हॉरिजॉन्टल
9.	दिव्यांगजन	05% हॉरिजॉन्टल

आरक्षण हेतु पात्रता उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी आरक्षण प्रमाण पत्र के अनुसार हो, अन्यथा सामान्य श्रेणी के तहत पंजीकृत माना जायेगा।

दिव्यांगजनों को भूतल के फ्लैट आवंटन में वरीयता दी जाएगी।

8. **आवंटन :**

8.1 फ्लैटों का आवंटन लॉटरी द्वारा आवेदकों के समक्ष किया जायेगा, जिसकी सूचना पृथक से समाचार पत्रों में एवं प्राधिकरण की वेबसाइट पर दी जाएगी।

8.2 लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

8.3 लॉटरी के पश्चात् डिजिटली हस्ताक्षरित आवंटन पत्र प्राधिकरण की वेबसाइट **https://www.ldalucknow.in/** से डाउनलोड किये जा सकेंगे, , जो पूर्ण रूप से मान्य होगा। पृथक से कोई आवंटन पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

7. **Reservation**

As per the orders related to reservation issued by the Government of Uttar Pradesh, reservation shall be admissible to various categories, which at present are as follows:

S. No.	Category	Reservation
1.	Scheduled Caste	21%
2.	Scheduled Tribe	2%
3.	Other Backward Class	27%
4.	MLA / MP & Freedom Fighters	5%
5.	Serving Govt. & Security Personnel (50+ years)	5%
6.	Development Authority & Allied Employees	2%
7.	Ex-Servicemen & Dependents	3%
8.	Senior Citizens (60+ years)	10% Horizontal
9.	Persons with Disabilities	5% Horizontal

Eligibility for reservation shall be as per valid reservation certificates issued by the Government of Uttar Pradesh, failing which the applicant shall be treated under the general category.

Preference shall be given to specially-abled in allotment of ground-floor flats.

8. **Allotment**

8.1 Allotment of flats shall be done through a lottery system in the presence of applicants. Information regarding the lottery shall be published separately in newspapers and on the Authority's website.

8.2 Lottery results shall be displayed publicly on the Lucknow Development Authority website.

8.3 After the lottery, the digitally signed allotment letter shall be available for download from the Authority's website **https://www.ldalucknow.in/** and shall be fully valid. No separate allotment letter shall be issued.